खत्म हो कंसल्टेंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर कम्पनियों को 50 प्रोजेक्ट की बाध्यता

विदेशी कम्पनियों की घुसपैठ बढ़ा रहा केंद्र

समय रहते कदम नहीं उठाया तो और बढ़ सकती है बेरोजगारी

■ **नागपुर, व्यापार प्रतिनिधि.** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कंसल्टेंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर कम्पनियों को 3 वर्ष में सिर्फ 50 प्रोजेक्ट देने की बाध्यता को खत्म करने की मांग इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा की गई है. केन्द्र देश में विदेशी कम्पनियों की घुसपैठ बढ़ा रहा है. इससे देश में बेरोजगारी की समस्या और बढ़ सकती है. समय रहते कदम नहीं बढ़ाया गया तो स्थिति बिगड़ सकती है. इसे लेकर एसोसिएशन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उन्हें समुचित जानकारी दी.

अधूरा रह जाएगा आत्मनिर्भर भारत का सपना

एसोसिएशन ने गडकरी से कहा है कि विदेशी कंसल्टेंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर कम्पनियों का टर्न ओवर 5-5 हजार करोड़ का है. यह कम्पनियां विभिन्न देशों में काम लेती हैं. अगर भारत में प्रवेश किया तो स्वदेशी कम्पनियों को काम नहीं मिलेगा और ऐसे में आत्मनिर्भर भारत का सपना अधूरा रह जाएगा. साथ ही आर्थिक नुकसान भी होगा. जो कार्य स्वदेशी कम्पनियां लाखों में करती हैं, वही कार्य विदेशी कम्पनियां लुइस बरजर कंसल्टिंग प्रा.लि. और जेवी सीएडीडी कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्रा.लि. करोड़ों में करती हैं. एसोसिएशन का कहना है कि मुख्य तकनीकी कर्मचारी के सलाहकार संस्था में स्थायी रोजगार के प्रमाणीकरण के लिए आयकर विभाग द्वारा निर्धारित फार्म 26 एएस की कॉपी दिए जाने का प्रावधान असंगत एवं अव्यावहारिक है क्योंकि आयकर विभाग का यह फार्म केवल संबंधित व्यक्ति के लिए है.

वार्षिक टर्नओवर पर निर्धारित हो प्रोजेक्ट्स की संख्या

वार्षिक टर्नओवर के आधार पर एक कंसल्टेंट फर्म को अधिकतम आवंटित प्रोजेक्ट्स की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए. इसमें 60 से 100 करोड़ टर्नओवर पर 100 प्रोजेक्ट्स, 100 से 150 करोड़ में 150 प्रोजेक्ट्स और 150 से 200 करोड़ तक टर्नओवर पर 200 परियोजनाएं मिलनी चाहिए. वहीं प्रोजेक्ट्स की संख्या में प्रति वित्तीय वर्ष 50 प्रोजेक्ट्स की दर से बढ़ाने का प्रावधान हो जिससे एसोसिएशन की फर्मों द्वारा नियोजित कर्मियों को रोजगार लगातार मिलता रहे.

शर्तों से न बांधा जाए कम्पनियों को

देश में जहां 500 से अधिक अधिक कंसल्टेंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर कम्पनियां हैं, वहीं महाराष्ट्र में इनकी संख्या 15 से 20 है. इनसे सैकड़ों युवाओं का रोजगार जुड़ा है. अगर 3 वर्ष में 50 प्रोजेक्ट्स ही मिले तो हम आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे, बल्कि विदेशी कम्पनियों को बढ़ावा मिलेगा. हमने केंद्रीय मंत्री से मांग की है कि कंपनियों को शर्तों से न बांधा जाए.

– **एलएन मालविया**, चेयरमैन, इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

12
सितंबर 2021

बदलते जमाने का अखबार
पीपुल्स समाचार
स्थापना वर्ष 2009

twitter.com/psamachar1 facebook.com/peoplessamachar1 whatsapp 9644644460 instagram.com/peoplessamachar1 www.peoplessamachar.

मप्र से उठी आवाज, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंसल्टेंसी कंपनियों को 50 प्रोजेक्ट्स में नहीं बांधें

हजारों युवक बेरोजगार हुए, इनके लिए बदले जाएं मापदंड

पीपुल्स ब्यूरो • भोपाल
मो.नं. 9425174141

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कसंल्टेंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को तीन साल में सिर्फ 50 प्रोजेक्ट देने की बाध्यता को खत्म करने की मांग मध्यप्रदेश से उठी है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया भोपाल ने तर्कों के साथ कहा है कि केन्द्र देश में विदेशी कंपनियों की घुसपैठ बढ़ा रहा है। ऐसा हुआ तो देश में बेरोजगारी की समस्या और बढ़ जाएगी।

एसोसिएशन ने केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी से कहा है कि विदेशी कंसल्टेंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों का टर्न ओवर पांच-पांच हजार करोड़ का है। ये कंपनियां विभिन्न देशों में काम लेती हैं। अगर भारत में प्रवेश किया तो स्वदेशी कंपनियों को काम नहीं मिलेगा और ऐसे में आत्मनिर्भर भारत

का सपना अधूरा रह जाएगा। साथ ही आर्थिक नुकसान भी होगा। उदाहरण के तौर पर एनएचएआई-ग्वालियर सिटी प्रोजेक्ट के लिए स्वदेशी कंपनी की कंसल्टेंसी दर 70,19,960 रुपए है जबकि विदेशी कंपनी लुइस बरजर कंसल्टिंग प्रा.लि. और जेवी सीएडीडी कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्रा.लि. इसी काम के 5 करोड़ 17 लाख 79 हजार 425 रुपए लेंगी। एसोसिएशन का कहना है कि मुख्य तकनीकी कर्मचारी के सलाहकार संस्था में स्थाई रोजगार के प्रमाणीकरण के लिए आयकर विभाग द्वारा निर्धारित फार्म 26 एएस की कॉपी दिए जाने का प्रावधान असंगत एवं अव्यहारिक है क्योंकि आयकर विभाग का यह फार्म केवल संबंधित व्यक्ति के लिए है एवं इसे जगजाहिर करना किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं है।

वार्षिक टर्नओवर पर मिले काम

वार्षिक टर्नओवर के आधार पर एक कंसल्टेंट फर्म को अधिकतम आवंटित प्रोजेक्ट्स की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जाए-

- 60 से 100 करोड़ टर्नओवर पर 100 प्रोजेक्ट्स
- 100 से 150 करोड़ में 150 प्रोजेक्ट्स
- 150 से 200 करोड़ तक टर्नओवर पर 200 परियोजनाएं मिलें

प्रोजेक्ट्स की संख्या में प्रति वित्तीय वर्ष 50 प्रोजेक्ट्स की दर से बढ़ाने का प्रावधान हो जिससे एसोसिएशन की फर्मों द्वारा नियोजित कर्मियों को रोजगार लगातार मिलता रहे।

आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होने में नियम आड़े हैं

मप्र में 70 से अधिक कंसल्टेंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं। इनसे सैकड़ों युवाओं का रोजगार जुड़ा है। अगर तीन साल में 50 प्रोजेक्ट्स ही मिले तो हम आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे बल्कि विदेशी कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। हमने केन्द्रीय मंत्री से मांग की है कि कंपनियों को शर्तों में नहीं बांधा जाए।

एलएन मालवीया, चेयरमेन, इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

केंद्रीय मंत्री गडकरी को बताई कंसलटेंसी से जुड़ी समस्याएं

जागरण प्रतिनिधि, भोपाल। इंफ्रास्ट्रक्चर कंसलटेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एलएन मालवीया ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें इंडिपेंडेंट इंजीनियर, अथॉरिटी इंजीनियर और डीपीआर कंसलटेंसी से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के बारे में बताया। केंद्रीय मंत्री ने इन पर जल्द निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

केन्द्रीय मंत्री से मुलाकात, बताई समस्याएं

भोपाल। इंफ्रास्ट्रक्चर कंसलटेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. एलएन मालवीया ने हाल ही में केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर सिविल कंसल्टेंसी से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया। मालवीया ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री को मुख्य तौर पर इंडिपेंडेंट इंजीनियर, अथॉरिटी इंजीनियर और डीपीआर कंसल्टेंसी से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की।